न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 04/2013 G.C.M.S. No. 2013/00141 दर्ज दिनांक : 01.02.2013

अपीलार्थिगणः

अर्जुनसिंह पुत्र नेनसिंह उर्फ वेनसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी खैरवा, तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. मृतक भंवरसिंह पुत्र नेनसिंह उर्फ वेनसिंह के कायम मुकाम –
   - 1/1 श्रीमति पुष्पा पत्नी भंवरसिंह
   - 1/2 मनोहरसिंह पुत्र भंवरसिंह
   - 1/3 सुश्री मुन्नी पुत्री भंवरसिंह
   - 1/4 सुश्री दुर्गा पुत्री भंवरसिंह
   - 1/5 खुशालसिंह पुत्र भंवरसिंह, जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण खैरवा, तहसील व जिला पाली (राज.) (1/2 से 1/5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता 1/1 श्रीमति पुष्पा)
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध डिक्री दिनांक 02.11.2012 जो योग्य अधीन न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार पुनीया आर.ए.एस. ने राजस्व वाद संख्या 01/1995 वादी अर्जुनसिंह बनाम प्रतिवादीगण मृत भंवरसिंह के कायम मुकाम राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित–

1. श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/5
3. सरकारी पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

निर्णय दिनांकः 10.10.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:39:11 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा [illegible] अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक [illegible] उपखंड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/1995 [illegible] अर्जुनसिंह बनाम मृतक भंवरसिंह के कायम मुकाम श्रीमति पुष्पा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2012 एवं डिक्री दिनांक 02.11.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम खैरवा, तहसील पाली के खसरा नंबर 674 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1331 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 1332 रकबा 53 बीघा 16 बिस्वा, किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 03 कुल रकबा 79 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादी एवं मृत प्रतिवादी भंवरसिंह के पिता नेनसिंह उर्फ वेनसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। नेनसिंह उर्फ वेनसिंह का देहान्त होने के समय वादी की उम्र बहुत कम होने एवं मृत भंवरसिंह बडा भाई होने तथा संयुक्त परिवार का कर्ता खानदान होने से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी मृतक भंवरसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई, परन्तु वास्तव में वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं मृत प्रतिवादी भंवरसिंह का शामलाती कब्जा काश्त रहा है एवं दोनों का वादग्रस्त भूमि पर समान हक–अधिकार है, परन्तु वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अकेले मृत प्रतिवादी भंवरसिंह के नाम दर्ज है, किन्तु वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। जिससे एडवर्स पजेशन की धारण अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार हो चुका है। इसके अतिरिक्त वादी का वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा होने के संबंध में मृत प्रतिवादी भंवरसिंह ने स्वीकार करते हुए इकरारनामा भी वादी के पक्ष में तकमील करवाया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 10.01.1995 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं दिनांक 30.08.1995 को मृत भंवरसिंह की ओर से एवं सरकार की ओर से जवाबदावा व वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 01 मृतक भंवरलाल द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है, उक्त जवाब में उसके द्वारा वादी का पूरा वाद स्वीकार किया जा चुका है। इस कारण तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बाबत प्रतिवादी व उनके अधिवक्ता को किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं थी। इसके पश्चात् प्रतिवादी भंवरसिंह की मृत्यु होने पर दिनांक 01.10.1996 को आदेश 22 नियम 04 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 05.11.1996 को स्वीकार किया गया एवं मृतक भंवरसिंह के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने आदेश पारित किया गया। इसके पश्चात दिनांक 08.07.1997 को मृत भंवरसिंह के कायम मुकाम की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 15.03.1998 को प्रतिवादीगण की तरफ से आपत्तियां प्रस्तुत की गई, जिसे उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 15.03.1998 को खारिज किया गया। इसके पश्चात वादी के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत किये जाने बाबत् निवेदन किया गया, जिस पर प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इसके पश्चात् दिनांक 24.09.2012 को बहस सुनी गई एवं दिनांक 15.10.2012 को निर्णय पारित किया गया। इसके पश्चात प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.11.2012 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में डिक्री पर्चा बनाने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] को दिये बिना एवं उक्त प्रार्थना पत्र को रेकर्ड पर लिये बिना एवं अपीलार्थी को [illegible] बिना जानकारी में लाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2012 को एक [illegible] डिक्री पर्चा जारी कर दिया गया। जोकि विधि विरूद्ध है। अपीलांट/वादी द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर उक्त अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें आदि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में प्रकट तथ्यों एवं कथनों को दुहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मूल वाद अपने भाई भंवरसिंह एवं भूमिधारी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था एवं उक्त वाद में यह स्पष्ट रूप से अभिवचन किये गये थें कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता नेनसिंह उर्फ वेनसिंह की थी एवं नेनसिंह उर्फ वेनसिंह का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् वादी/अपीलांट बहुत छोटी उम्र का था एवं भंवरसिंह बडी उम्र का बडा भाई होने के कारण वादग्रस्त भूमि उसके अकेले में नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। परन्तु वास्तव में वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं मृत प्रतिवादी भंवरसिंह का शामलाती कब्जा काश्त रहा है एवं दोनों का वादग्रस्त भूमि पर समान हक-अधिकार है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अकेले मृत प्रतिवादी भंवरसिंह के नाम दर्ज है, परन्तु वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। जिससे एडवर्स पजेशन की धारण अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार हो चुका है। इसके अतिरिक्त वादी/अपीलांट का वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा होने के संबंध मे मृत प्रतिवादी भंवरसिंह ने स्वीकार करते हुए इकरारनामा भी वादी के पक्ष मे तकमील करवाया गया, जिसकी फोटोप्रति वाद के साथ पत्रावली मे संलग्न है। इसके अतिरिक्त वाद के जवाब में मृतक भंवरसिंह ने जवाब प्रस्तुत कर वादी/अपीलांट का संपूर्ण वाद स्वीकार किया गया एवं वादी/अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदारी घोषित किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी मृतक भंवरलाल द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 12 नियम 06 के तहत स्वप्रेरणा से बिना किसी प्रश्न के अवधारणा की प्रतिक्षा किये ऐसी स्वीकृति को ध्यान मे रखते हुए वादी/अपीलांट के वाद को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया जाना था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि भंवरसिंह वेनसिंह के गोद चला गया। जबकि ऐसा कोई तथ्य बहस मे सामने नहीं आया एवं नेनसिंह के पिता का नाम भबूतसिंह एवं वेनसिंह के पिता का नाम जवानसिंह है। यह तथ्य भी सामने नही आया। इसके अतिरिक्त वाद मे प्रतिवादी संख्या 01 मृतक भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे को उसके कायम मुकाम द्वारा किसी अन्य भंवरसिंह के अंगुष्ठ निशान से प्रस्तुत करना एवं भंवरसिंह द्वारा अंगुठा न कर पढ़ा-लिखा होने से हस्ताक्षर करने के तथ्य न्यायालय के समक्ष दौराने बहस लाये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो के आधार पर इकबालिया जवाबदावे के आधार पर आदेश 15 नियम 1 सी0पी0सी0 के तहत वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने का अंकन जैर अपील निर्णय में किया गया है। जबकि आदेश 15 नियम 1 प्रथम सुनवाई मे वाद का निपटारा करने का प्रावधान करता है न कि जवाबदावा आने के बाद एवं आदेश 15 नियम 1 यह प्रावधान करता है कि प्रथम सुनवाई में जब न्यायालय को यह प्रतीत हों कि विवाद के तथ्य से हि प्रश्न पर पक्षकारों में विवाद नहीं होतो वहां न्यायालय तुरन्त ही निर्णय सुना सकता है। एवं यहां मामला आदेश 15 नियम 1 का नही था, अपितु आदेश 12 नियम 06 का था। जहां अभिवचनों में प्रतिवादी मृतक भंवरलाल ने लिखित रूप में वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार किया गया था। इस प्रकार अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा आदेश 12 नियम 06 को पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के अन्तर्गत अपीलांट के पक्ष में तकमील इकरारनामे के संबंध में यह अंकन किया गया कि मामला पक्षकारों की आपसी सहमति के तहत सम्पति के हस्तान्तरण का है, जो स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की हानि होने से कोल्युजीव शुट की परिभाषा में आने से स्वीकार योग्य नहीं है। जबकि कोई स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की हानि होने जैसा विषय नहीं था एवं कोई कोल्युजन नहीं था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी मृतक भंवरसिंह के जवाबदावे एवं वादग्रस्त भूमि के संबंध में भंवरसिंह द्वारा निष्पादित इकरारनामे को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों एवं कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम खैरवा, तहसील पाली के खसरा नंबर 674 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 1331 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 1332 रकबा 53 बीघा 16 बिस्वा, किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 03 कुल रकबा 79 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने बाबत् अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 मृतक भंवरलाल को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त नोटिस पर वादी/अपीलांट द्वारा किसी अन्य का अंगूठा लगवाकर न्यायालय में पेश किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 01 मृतक भंवरलाल से मूल तामिल कभी नहीं करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 मृतक भंवरलाल एक पढ़ा–लिखा व्यक्ति था। नोटिस पर मात्र अंगूठा लगाया गया, वह किस व्यक्ति का है एवं किसी तारीख को तामिल करवाई गई। इस प्रकार को कोई नोटिस पर नही लगाया गया। इसके विपरित इकरारनामें के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 01 मृतक भंवरलाल के हस्ताक्षर है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 मृतक भंवरलाल को नोटिस तामिल नहीं करवाया गया एवं तामिल कुनिन्दा द्वारा किसी फर्जी व्यक्ति से तामिल करवाई गई। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने वाद पत्र में अपना नाम अर्जुनसिंह पुत्र नेनसिंह उर्फ वेनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी खैरवा होना बताया है, जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम अर्जुनसिंह पुत्र नेनसिंह पोता भबुतसिंह है। वादग्रस्त भूमि संवत 2012 तक मृतक वेनसिंह पुत्र जवानसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी एवं अपीलांट नेनसिंह पुत्र भबूतसिंह कौम राजपुरोहित का पुत्र है। इस प्रकार वादग्रस्त भू[illegible]सिंह या उसके पुत्र अपीलांट अर्जुनसिंह का कोई हक–हिस्सा नहीं है [illegible] वादग्रस्त भूमि के मालिक वेनसिंह पुत्र जवानसिंह का वारिस है। [illegible] अपीलांट के पिता के नाम कभी भी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नहीं रही। इसके अतिरिक्त नेन[illegible] एवं वेनसिंह दोनों अलग–अलग व्यक्ति है। नेनसिंह के पिता का नाम भबूतसिंह है एवं वेनसिंह के पिता का नाम जवानसिंह है एवं दोनों की खातेदारी भूमि अलग–अलग है। रेस्पोडेन्ट मृतक भंवरसिंह वेनसिंह के गोद जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि मृतक भंवरसिंह को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट अर्जुनसिंह को कोई हक–अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट अपने वाद को साक्ष्य द्वारा प्रदर्श कर साबित करने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजी साक्ष्य, सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं उन पर उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री तथा संगत विधिक प्रावधानों का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र एवं हस्तगत अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रतिवादी श्री भंवरसिंह के वारिसान के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम खैरवा तहसील पाली में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 674 रकबा 25–10 बीघा, खसरा संख्या 1331 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 1332 रकबा 53–16 बीघा कुल रकबा 79–19 बीघा जो आरंभ में वादी व मृत प्रतिवादी के पिता नैनसिंह उर्फ वेनसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थीं, लेकिन पिता के देहान्त पर वादी की उम्र बहुत कम होने से एवं प्रतिवादी बडा भाई होने एवं कर्ता खानदान होने से वादग्रस्त भूमि मृत प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई, लेकिन मौके पर दोनों का कब्जाकाश्त चल रहा है। जो दोनों की सामलाती है। जिस पर दोनों का बराबर हक–अधिकार है, क्योंकि उक्त भूमि वादी व मृत प्रतिवादी के पिता की खातेदारी की थी। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी का बराबर हक–अधिकार है।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी भंवरसिंह की ओर से इकबालिया जवाब–दावा प्रस्तुत होना अंकित है। वादी अपीलांट के अनुसार उक्त जवाब–दावा प्रतिवादी भंवरसिंह की ओर से ही अंगुठा निशान किए जाकर प्रस्तुत किया गया था। जबकि रेस्पोडेन्ट का कथन है कि श्री भंवरसिंह हस्ताक्षर करते थें, अंगुठा निशान नहीं करते थें। तथा उक्त तथाकथित इकबालिया जवाब–दावा भंवरसिंह की ओर से पेश नहीं होकर फर्जी है।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 15.10.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान पीठासीन अधिकारी ने अपने विवेचन में प्रकट किया है कि वादी अर्जुनसिंह एवं भंवरसिंह दोनों सगे भाई थें। तथा भंवरसिंह वेनसिंह के गोद चला गया था। नेनसिंह के पिता का नाम भबुतसिंह है और वेनसिंह के पिता का नाम जवानसिंह है। चूंकि इस विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 1 भंवरसिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब–दावा को उसके कायम मुकाम द्वारा किसी अन्य भंवरसिंह के अंगुष्ठ निशान से प्रस्तुत करने ... भंवरसिंह द्वारा अंगुठा न कर पढ़ा–लिखा होने से हस्ताक्षर करने के तथ्य को ... बहस में लाया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र इकबालिया जवाब–दावा के आधार पर आदेश 15 नियम 1 सीपीसी के तहत वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड फर्द बेरेवार में नंबर सिलसिला–68 पर कॉलम संख्या 8 में वेनसिंह वल्द जवानसिंह कौम पुरोहित अंकित है। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 में वादग्रस्त भूमि भंवरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वल्द वेनसिंह पुरोहित की खुदकाश्त दर्ज है। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 के खाता संख्या 545 में खसरा संख्या 674, 1331, 1332, कुल रकबा 99 बीघा 19 बिस्वा भंवरसिंह वल्द वेनसिंह कौम पुरोहित के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी द्वारा वाद तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि भंवरसिह को वेनसिंह के गोदपुत्र होने के कारण प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी भंवरसिंह के इकबालिया जवाबदावा को मान भी लिया जाए तो प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों की आपसी सहमति के तहत सम्पति का हस्तांतरण होना पाया जाता है। जोकि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की हानि होने से collusive suit की परिभाषा में आने से स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः वादपत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

4. पत्रावली के अवलोकन एवं उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादी अर्जुनसिंह एवं प्रतिवादी भंवरसिंह के सगे भाई होने तथा दोनों के पिता का नाम नेनसिंह उर्फ वेनसिंह होने एवं वादग्रस्त आराजी को वादी एवं प्रतिवादी के पिता नेनसिंह उर्फ वेनसिंह की खातेदारी भूमि होने तथा पिता के देहान्त पर वादी की उम्र कम होने तथा प्रतिवादी बडा भाई एवं कर्ता खानदान होने से संपूर्ण भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज हो जाने एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत दोनों भाईयों का समान हक–हिस्सा निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ही उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की खतौनी बंदोबस्त 2012 के अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजी भंवरसिंह गोद वेनसिंह हिस्सा 1/2 के नाम खुदकाश्त दर्ज है। इस प्रकार जब वादग्रस्त भूमि आरंभ से ही अर्थात भू–प्रबंध से ही प्रतिवादी के नाम खुदकाश्त दर्ज है, तो वादी अपीलांट का यह कथन की वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी के पिता की खातेदारी भूमि है, पूर्णतया गलत है। खतौनी बंदोबस्त के अंकन से यह भी स्पष्ट होता है कि भंवरसिंह वेनसिंह का गोदपुत्र था।

5. चूंकि उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी भंवरसिंह की खुदकाश्त आराजी रही हैं, अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उक्त आराजी खातेदार भंवरसिंह के वारिसान में ही निहित हो सकती हैं। न कि वादी में।

6. चूंकि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी भंवरसिंह की खुदकाश्त आराजी थी, अतः न्यायालय में इकबालिया जवाबदावा/राजीनामा से भी उक्त आराजी वादी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। क्योंकि इस संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में स्पष्ट प्रावधान है, तथा उत्तराधिकार के अतिरिक्त संपत्ति का अंतरण उक्त अधिनियम में विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए ही किया जा सकता है, इससे इतर नहीं। अतः यदि इकबालिया जवाब–दावा या राजीनामा प्रवृत विधिक प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय वादपत्र के अनुरूप निर्णय एवं डिक्री करने के लिए बाध्य नहीं हैं। न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा या इकबालिया जवाबदावा विधि एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप हों।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी आरंभ से प्रतिवादी भंवरसिंह की खुदकाश्त आराजी होने, वादग्रस्त आराजी कभी–भी वादी के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज होना अभिलेख से साबित नहीं होने, वादी के संबंध में हस्तगत प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य तथा संगत विधिक प्रावधानों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अंतर्गत भली–भांति विवेचन उपरांत स्पीकिंग ऑर्डर के साथ प्रकरण को निर्णित करने, अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में कोई नवीन तथ्य या किसी विशिष्ट विधि के विषय को संज्ञान में नहीं लाने एवं अपील को साबित करने में सफल नहीं रहने के कारण अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स भली–भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी पाली के राजस्व वाद संख्या 01/1995 बअनवान वादी अर्जुनसिंह बनाम प्रतिवादी मृत भंवरसिंह के कायम मुकामात में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2012 एवं डिक्री दिनांक 02.11.2012 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक **10.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.05.05 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner